

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 2022—चैत्र 14, शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. एफ 2-12-2022-लोसेप्र-पी.एस.जी.-०५.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील का पदनाम (4)	प्रथम अपील की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील का पदनाम (6)	द्वितीय अपील का पदनाम (7)
5.17	अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण).	संपदा अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.	50 दिवस	वृत्त के उपायुक्त	30 दिवस	मुख्य संपदा अधिकारी.	
5.18	अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत.	संपदा अधिकारी, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल.	50 दिवस	वृत्त के उपायुक्त	30 दिवस	मुख्य संपदा अधिकारी.	

क्र. एफ 02-11-2022-लोसे प्र-पी.एस.जी.-07.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामाजिक न्याय एवं  
निःशक्तजन कल्याण विभाग की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.20	मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.
7.21	मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना.	ग्रामीण क्षेत्र के लिये— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.  नगरीय क्षेत्र के लिये— अ. आयुक्त नगरनिगम ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/ नगरपरिषद्.	15 कार्य दिवस  15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व  अ. कलेक्टर ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर  अ. संभागीय आयुक्त दिवस ब. कलेक्टर

क्र. एफ 02-10-2022-लोसे प्र-पी.एस.जी.-39.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं  
रोजगार विभाग की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.17	डुप्लीकेट मार्कशीट सर्टिफिकेट (एससीडीटी).	ऑनलाइन परीक्षा प्रभारी परीक्षा अनुभाग एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल.	15 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी, भोपाल.	1 माह	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.18	डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण-पत्र.	प्राचार्य, शासकीय आईटीआई, मध्यप्रदेश.	15 दिवस	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, कौशल विकास संचालनालय.	1 माह	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.
39.19	चरित्र प्रमाण-पत्र	प्राचार्य, शासकीय आईटीआई, मध्यप्रदेश.	05 दिवस	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, कौशल विकास संचालनालय.	1 माह	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.

क्र. एफ 2-08-2022-लोसे प्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.40	भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र.	1. नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी.  2. नगरपालिका निगम क्षेत्र में आयुक्त अथवा एवं आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी.	15 दिवस  15 दिवस	जिला कलेक्टर  जिला कलेक्टर	30 दिवस  30 दिवस	आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास.  आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास.

क्र. एफ 2-09-2022-लोसे प्र-पी.एस.जी.-29.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुष विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम,

सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग के अन्तर्गत  
मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड की सेवाएं—**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.6	योग्यतावृद्धि प्रमाण-पत्र (एम.डी.आयुर्वेद/ यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर).	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.	30 कार्य दिवस	प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप-संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, भोपाल, म. प्र.
29.7	रजिस्ट्रेशन सत्यापन (रिनिवल) (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर).	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.	15 कार्य दिवस	प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप-संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, भोपाल, म. प्र.
29.8	रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति/संशोधित प्रति (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर).	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.	15 कार्य दिवस	प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप-संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, भोपाल, म. प्र.
29.9	पता परिवर्तन (नाम/उपनाम/ पता परिवर्तन) प्रोफाईल संशोधन, मोबाइल चेंज (आवेदन प्रकरण पूर्ण होने पर).	रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल, म. प्र.	05 कार्य दिवस	प्रशासक, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड एवं उप-संचालक, संचालनालय, आयुष मध्यप्रदेश, भोपाल, म. प्र.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, भोपाल, म. प्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.